



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 279-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/15-13काविनी एवं वे०प्र०/09(टी०सी०-3-बी) दिनांक 31 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञाप

छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत ए०सी०पी० योजना लागू किये जाने विषयक कारपोरेशन के कार्यालय-ज्ञाप सं० 835-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 08.09.2011 के प्रस्तर-20 में पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में संशोधित विकल्प प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं० 131-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 15 मार्च, 2013 द्वारा निर्धारित की गई 03 माह की समय-सीमा, को अन्तिम बार इस आदेश के निर्गमन की तिथि से अग्रतर 06 (छह) माह बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं० 279 -(1) का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2015 तद्दिनांक।

अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा / मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ।
- 6- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 11- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(वी० के० शर्मा)

अपर सचिव (प्रथम)

कृ० प्र० उ०

2011-13

संशोधित विकल्प

* (1) मैं.....

..... दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ।

..... अपने मूल/स्थानापन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि :-

* मेरी अगली वतन वृद्धि की तिथि

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर न हो

जाए।

मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ / छोड़ दूँ!

परी मासे प्रकृती वर्तमान वेतनमान

हस्ताक्षर.....

.....

पदनाम

कार्यालय का नाम.....

दिनांक -
[कमलान, जालजी नमन लीज, ०ली नमनललक प्रनल ०० ००, (ललन लु नलन) नलनलललल - ६.]

स्थान - (सभी सदस्यों/सदस्यिकाओं द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की गई प्रस्ताव, प्रस्तावित/प्रस्तावित प्रस्ताव - 1)

* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए।

D:\Kavari - 20\Bhama G' (Letter - 2015).cso Page no. 70 04-Apr-15 4:49 PM